न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–954 सन् 2012

सुनैना देवी...............................वादी।

बनाम

मालती देवी वगैरह.................................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 28.11.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 28.02.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 18 राजन सिंह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 05.01.2023 को अपने कानूनी वारिसान पत्नी आशा देवी वो दो पुत्र रंजीत कुमार सिंह वो संजीत कुमार सिंह को छोड़कर हो गई है जिनका नाम प्रतिवादी सं0 18 के स्थान पर प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 18 राजन सिंह का नाम कलमजद करके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 18 राजन सिंह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 05.01.2023 को अपने कानूनी वारिसान पत्नी आशा देवी वो दो पुत्र रंजीत कुमार सिंह वो संजीत कुमार सिंह को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 28.02.2023 को 500/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

वाद दिनांक...................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।